

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जो एम.एफ.सी गोहद भिण्ड

करण कमाक /2017 गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

Name and address of the complain म0प्र0 शा न द्वारा पुलिस थाना..... जिला

Name, parentage, caste and address of accused

① राहुस रं निमि म सजावत निर नि के

The offence complained of, and date of its alleged commission

आपने दिनांक 13-2-18 के समय लगभग 19.00 बजे स्थान खान के हामरे

पर वाहन कमाक जो राहुस रं निमि म को शराब पीकर नशे की हालत में बलाया । इस

प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया जो एम व्ही स्कट की धारा 185 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है

जो इस न्यायालय के स्तान में है । क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा

चाहते हैं ।।

The plea of the accused and his examination [if any]

आपकी अभिवाक-

स्वास्थ्य स्वीकार है।

Rahul

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e),
clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of
the property in respect of which the offence has been committed

//निर्णय //

॥ आज दिनांक को घोषित ॥

आरोपी की स्वेच्छक संस्वीकृति के आधार पर उसे धारा १८५ एम.टी.एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुये दोष सिद्ध ठहराया गया।

दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोष सिद्ध प्रमाणित नहीं है। आरोपी की स्वीकृति एवं अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुये आरोपी को धारा १८५ एम.टी.एक्ट की अपराध में दोष सिद्ध पाते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं रुपये २०००० के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

अर्थदण्ड की राशि जमा न होनेकी दशा में १० दिन का सामारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित।

मेरे निदेश पर लिखा गया।

०६/०२/१८

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)

०६/०२/१८

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)